अध्याय–V

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य–कलाप

5.1 परिचय

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) में राज्य सरकार की कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। राज्य के पीएसयूज की स्थापना जन–कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियों के संचालन के लिए तथा इनका राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने के लिए की जाती है। 31 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन 113 पीएसयूज थे जिनमें छः सांविधिक निगम[56] एवं 107 सरकारी कम्पनियाँ (जिनमें 44 अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ[57] सम्मिलित हैं) थी। वर्ष 2019–20 की अवधि के दौरान दो कम्पनियाँ यथा मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को जोड़ा गया। इनमें से कोई भी सरकारी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी।

इस अध्याय में 31 दिसम्बर 2020 तक प्राप्त नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर 33 पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयूज एवं ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 22 पीएसयूज जिनका विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट–5.1*** में है) के वित्तीय निष्पादन को शामिल किया गया है। इस अध्याय में 80 पीएसयूज (68 सरकारी कम्पनियाँ, नौ अन्य सरकारी नियंत्रित कम्पनियाँ[58] एवं तीन सांविधिक निगम सहित) शामिल नहीं हैं जिनके लेखे तीन वर्ष या उससे अधिक समय से बकाया थे या विचलन/परिसमापन के अधीन थे या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे जिनका विस्तृत वर्णन ***परिशिष्ट–5.2*** में है। तथापि, यह अध्याय राज्य के सभी पीएसयूज के संबंध में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश (प्रस्तर 5.2), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता (प्रस्तर 5.3), उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान (प्रस्तर 5.4), सार्वजनिक उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ (प्रस्तर 5.14 एवं 5.15) एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण (प्रस्तर 5.16) को सम्मिलित करता है।

पीएसयूज राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण संरचना प्रदान करने के अतिरिक्त, ये पीएसयूज राज्य के जीडीपी में भी उल्लेखनीय योगदान प्रदान करते हैं। पीएसयूज के टर्नओवर से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में इन पीएसयूज की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। 31 मार्च 2020[59] को समाप्त चार वर्षों की अवधि के लिए, पीएसयूज के टर्नओवर एवं उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी का विवरण **तालिका–5.1** में दिया गया है।

---

[56] उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम एवं उत्तर प्रदेश वन निगम।

[57] वर्ष 2019–20 के दौरान, दो अकार्यरत कम्पनियाँ यथा सोनभद्र पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड एवं यमुना पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड को बंद कर दिया गया।

[58] केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा स्वामित्व या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण वाली कम्पनियाँ।

[59] 31 दिसंबर 2020 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार।

तालिका 5.1: उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी के सापेक्ष सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज का टर्नओवर	54,223	56,651	61,846	61,846[60]
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज का टर्नओवर	7,647	8,032	7,909	7,940
कुल टर्नओवर	61,870	64,683	69,755	69,786
पूर्ववर्ती वर्ष के सापेक्ष ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के टर्नओवर में परिवर्तन प्रतिशत में	-	4.48	9.17	0.00
पूर्ववर्ती वर्ष के सापेक्ष ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज के टर्नओवर में परिवर्तन प्रतिशत में	-	5.04	(-) 1.53	0.39
उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी[61]	12,90,289	14,60,443	16,68,229	17,94,508
पूर्ववर्ती वर्ष के जीएसडीपी की तुलना में जीएसडीपी में परिवर्तन प्रतिशत में	-	13.19	14.23	7.57
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के टर्नओवर का उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी से प्रतिशत	4.20	3.88	3.71	3.45
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज के टर्नओवर का उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी से प्रतिशत	0.59	0.55	0.47	0.44

स्रोतः सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2020 को जारी जीएसडीपी आंकड़ों एवं पीएसयूज के टर्नओवर के आंकड़ों के आधार पर संकलित।

ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयूज के टर्नओवर में वर्ष 2017–18 से 2018–19 की अवधि के दौरान 4.48 प्रतिशत से 9.17 प्रतिशत के मध्य वृद्धि के साथ बढ़त की प्रवृति दिखाई दी। चूंकि वर्ष 2019–20 के लिए किसी भी ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिये वर्ष के दौरान विकास दर को स्थापित/विश्लेषित नहीं किया जा सका।

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 22 पीएसयूज के टर्नओवर में 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान, वर्ष 2018–19 को छोड़कर जिसमें 1.53 प्रतिशत की कमी आई थी, बढ़त की प्रवृति दिखाई दी है। 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान टर्नओवर में वृद्धि की दर 0.39 प्रतिशत से 5.04 प्रतिशत के मध्य रही, जबकि उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी में 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान वृद्धि दर 7.57 प्रतिशत से 14.23 प्रतिशत के मध्य रही।

चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि विभिन्न समय अवधि के दौरान वृद्धि दर को मापने की एक उपयोगी पद्धति है। जीएसडीपी के 11.62 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि[62] के सापेक्ष पीएसयूज के टर्नओवर में पिछले तीन वर्षों के दौरान 4.09 प्रतिशत की कम चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गयी। इससे 2016–17 से 2019–20 की अवधि के दौरान, जीएसडीपी में ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज एवं ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज के टर्नओवर की हिस्सेदारी घटकर क्रमशः 4.20 प्रतिशत से 3.45 प्रतिशत एवं 0.59 प्रतिशत से 0.44 प्रतिशत हो गयी।

---

[60] वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के लिए ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज का टर्नओवर समान माना गया है, क्योंकि वर्ष 2019–20 का कोई लेखा 31 दिसम्बर 2020 तक प्राप्त नहीं हुआ था।

[61] वर्ष 2016–17 से 2018–19 के लिए वर्तमान कीमतों पर जीएसडीपी को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया गया था, इसलिए 2016–17 से 2018–19 के लिए जीएसडीपी के संदर्भ में विभिन्न मानकों का प्रतिशत अनुपात/उछाल जो कि पहले की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाया गया है, को भी संशोधित किया गया।

[62] चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर [{(2019–20 का मूल्य/2016–17 का मूल्य) ^ (1/3 वर्ष)}-1]*100

5.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2020 को 113 राज्य पीएसयूज में क्षेत्र–वार निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) का सारांश **तालिका–5.2** में दिया गया है:

तालिका 5.2: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्षेत्रवार निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	पीएसयूज की संख्या	निवेश								
		पूँजी				दीर्घावधि ऋण				महायोग
		जीओयूपी	जीओआई	अन्य[63]	योग	जीओयूपी	जीओआई	अन्य	योग	
इस अध्याय में सम्मिलित पीएसयूज										
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज	11	1,26,160.55	0.00	0.36	1,26,160.91	618.56	0.00	81,026.22	81,644.78	2,07,805.69
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज	22	2,487.14	1,887.57	1,014.87	5,389.58	2,583.09	584.10	4,941.29	8,108.48	13,498.06
इस अध्याय में सम्मिलित पीएसयूज का योग	**33**	**1,28,647.69**	**1,887.57**	**1,015.23**	**1,31,350.49**	**3,201.65**	**584.10**	**85,967.51**	**89,753.26**	**2,21,303.75**
इस अध्याय में सम्मिलित नहीं किये गये पीएसयूज										
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज	2	2.22	0.00	0.05	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज	78	2,590.89	123.58	2,246.14	4,960.61	4,572.59	1.10	2,053.23	6,626.92	11,587.53
इस अध्याय में सम्मिलित नहीं किये गये पीएसयूज का योग	**80**	**2,593.11**	**123.58**	**2,246.19**	**4,962.88**	**4,572.59**	**1.10**	**2,053.23**	**6,626.92**	**11,589.80**
महायोग	**113**	**1,31,240.80**	**2,011.15**	**3,261.42**	**1,36,513.37**	**7,774.24**	**585.20**	**88,020.74**	**96,380.18**	**2,32,893.55**

स्रोत: वार्षिक लेखाओं एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संकलित आंकड़े।

31 मार्च 2020 को, इस अध्याय में शामिल 11 ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 2,07,805.69 करोड़ था। निवेश में 60.71 प्रतिशत पूँजी एवं 39.29 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण सम्मिलित थे। राज्य सरकार द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण (₹ 618.56 करोड़) कुल दीर्घावधि ऋणों का 0.76 प्रतिशत थे जबकि कुल दीर्घावधि ऋणों का 99.24 प्रतिशत (₹ 81,026.22 करोड़) वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किया गया था जिसका वर्णन ***परिशिष्ट–5.3*** में है।

31 मार्च 2020 को, इस अध्याय में सम्मिलित 22 ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 13,498.06 करोड़ था। निवेश में 39.93 प्रतिशत पूँजी एवं 60.07 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण सम्मिलित थे। राज्य सरकार द्वारा दिए गए दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों का 31.86 प्रतिशत (₹ 2,583.09 करोड़) थे, जबकि कुल दीर्घावधि ऋणों का 68.14 प्रतिशत (₹ 5,525.39 करोड़) भारत सरकार एवं वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किये गये थे जिसका विस्तृत वर्णन ***परिशिष्ट–5.3*** में है।

5.3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2020 को समाप्त पिछले तीन वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में वर्ष के दौरान बजटीय सहायता (पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी) तथा ऋण पुनर्भुगतान/अपलिखित/ऋण का पूँजी/अनुदान में परिवर्तन का सारांश **तालिका–5.3** में दिया गया है:

[63] 'अन्य' में स्वामित्व कम्पनियों के अलावा, वित्तीय संस्थान एवं बैंको द्वारा किया गया निवेश सम्मिलित है।

तालिका 5.3: 2017–18 से 2019–20 के दौरान पीएसयूज को बजटीय सहायता का विवरण

विवरण	2017-18		2018-19		2019-20	
	पीएसयूज की संख्या	राशि [64] (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या	राशि [64] (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या	राशि [64] (₹ करोड़ में)
(अ) ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज						
अंश पूँजी की सहायता (i)	4[65]	8,234.53	3[65]	13,409.18	3[65]	8,248.83
दिए गए ऋण (ii)	-	0.00	1	615.45	-	0.00
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	2	7,593.19	2	17,157.09	2	19,065.56
कुल सहायता (i+ii+iii)	4[66]	15,827.72	3[66]	31,181.72	3[66]	27,314.39
ऋण पुनर्भुगतान/अपलिखित	-	-	1	4,891.72	-	61.54
ऋणों का पूँजी/अनुदान में परिवर्तन	-	-	-	-	-	4,891.72
अदत्त प्रत्याभूतियाँ	3	57,912.93	4	85,998.73	3	91,645.29
प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	2	31,488.20	3	13,198.56	2	9,919.23
(ब) ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज						
अंश पूँजी की सहायता (i)	3	136.26	3	55.60	4	288.63
दिए गए ऋण (ii)	6	372.40	8	990.49	8	403.32
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	10	809.72	15	1,721.09	17	712.21
कुल सहायता (i+ii+iii)	18[66]	1,318.38	25[66]	2,767.18	27[66]	1,404.16
ऋण पुनर्भुगतान/अपलिखित	-	-	-	-	-	0.00
ऋणों का पूँजी/अनुदान में परिवर्तन	-	-	-	-	-	0.00
अदत्त प्रत्याभूतियाँ	4	154.62	6	3,518.37	7	3,569.84
प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	-	-	-	-	-	0.00

स्रोतः पीएसयूज के वार्षिक लेखाओं, सरकारी आदेश एवं पीएसयूज से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संकलित।

मार्च 2020 को समाप्त हुए पिछले तीन वर्षों के लिए पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के लिए बजटीय सहायता से सम्बन्धित विवरण **चार्ट 5.1** में दिया गया है।

चार्ट 5.1: पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के लिए बजटीय सहायता

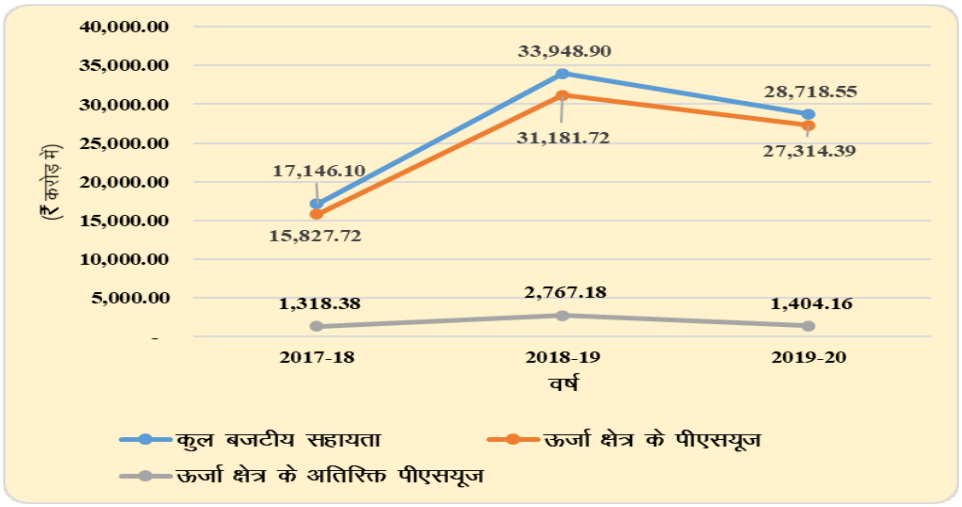

2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा प्राप्त वार्षिक बजटीय सहायता ₹ 15,827.72 करोड़ से ₹ 31,181.72 करोड़ के मध्य थी। 2019–20

---

[64] राशि केवल राज्य बजट से जावक को दर्शाती है।

[65] उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को उत्तर प्रदेश सरकार उनकी सहायक कम्पनियों हेतु पूँजी देती है। अतः सरकार के धन के निवेश के उद्देश्य से, केवल स्वामित्व धारक कंपनियों पर उनकी सहायक कम्पनियों की ओर से विचार किया गया है। शेष दो ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड हैं। उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के दौरान पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में कोई बजटीय सहायता प्रदान नहीं की गयी थी।

[66] यह आंकड़ा उन पीएसयूज की संख्या को दर्शाते हैं, जिन्हें एक या अधिक मदों से राशि प्राप्त की है यथा पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी।

के दौरान प्राप्त ₹ 27,314.39 करोड़ की बजटीय सहायता में क्रमशः ₹ 8,248.83 करोड़ एवं ₹ 19,065.56 करोड़ पूँजी एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में थे। ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों की बजटीय सहायता की जाँच में अनुदान/सब्सिडी में तीव्र वृद्धि वर्ष 2017–18 में ₹ 7,593.19 करोड़ से 2018–19 में ₹ 17,157.09 करोड़ एवं वर्ष 2019–20 में ₹ 19,065.56 करोड़ पायी गयी। यह मुख्य रूप से वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (उदय) के अन्तर्गत प्रतिवर्ष ₹ 4,891.72 करोड़ के ब्याज मुक्त ऋणों का अनुदान में परिवर्तन एवं हानियों के वित्त पोषण के लिए उदय के अन्तर्गत अतिरिक्त अनुदान क्रमशः ₹ 761.09 करोड़ एवं ₹ 2,400 करोड़ वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में थे।

वर्ष 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज को वार्षिक बजट की सहायता ₹ 1,318.38 करोड़ से ₹ 2,767.18 करोड़ के मध्य थी। 2019–20 के दौरान प्राप्त ₹ 1,404.16 करोड़ की बजटीय सहायता में क्रमशः ₹ 288.63 करोड़, ₹ 403.32 करोड़ एवं ₹ 712.21 करोड़ पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में सम्मिलित थे। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ₹ 712.21 करोड़ के अनुदान में से, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ₹ 447.27 करोड़ प्रदान किये गये।

बैंको एवं वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) प्रत्याभूति देती है जिसके लिए 0.25 प्रतिशत से एक प्रतिशत की दर से प्रत्याभूति कमीशन लिया जाता है जो कि जीओयूपी द्वारा उधारकर्ताओं के आधार पर तय किया गया है (15 सितम्बर 2000)। 31 मार्च 2020 को ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में अदत्त प्रत्याभूति ₹ 91,645.29 करोड़ एवं ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज में ₹ 3,569.84 करोड़ थी। वर्ष 2019–20 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में दो पीएसयूज[67] द्वारा ₹ 0.07 करोड़ के प्रत्याभूति कमीशन का भुगतान किया गया।

5.4 उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान

राज्य पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूतियों से सम्बन्धित आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं में दर्शायें गये आंकड़ों से मेल खाने चाहिये। यदि उक्त आंकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो सम्बन्धित पीएसयूज एवं वित्त विभाग को अन्तर का मिलान करना चाहिये। लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2020 को चार ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज को शामिल करते हुए 64 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में ऐसे अन्तर विद्यमान थे जिनका विवरण ***परिशिष्ट–5.4*** में है एवं **तालिका–5.4** में संक्षेपित है:

तालिका 5.4: वित्त लेखाओं एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

मद के सम्बन्ध में बकाया	राज्य पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार धनराशि	वित्त लेखाओं के अनुसार धनराशि	अन्तर
पूँजी	33,911.40	34,377.11	(-) 465.71
ऋण	7,220.33	3,244.89	3,975.44
प्रत्याभूतियाँ	30,308.46	32,211.29	(-) 1,902.83

स्रोतः पीएसयूज के वार्षिक लेखाओं, पूँजी, ऋण एवं प्रत्याभूतियाँ के लिए स्वीकृत/निर्गम आदेश, पीएसयूज से प्राप्त सूचना एवं वित्त लेखाओं के आधार पर संकलित।

आंकड़ों के अंतर गत कई वर्षों से विद्यमान है। अन्तर के समाधान हेतु लेखापरीक्षा द्वारा सम्बन्धित पीएसयूज एवं विभागों के साथ इस मुद्दे को समय–समय पर उठाया गया

[67] उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

है। दो ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज[68] एवं चार ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज[69] के शेष राशि में बड़ा अन्तर पाया गया।

5.5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

31 दिसम्बर 2020 को उनके नवीनतम अन्तिमीकृत किये गये लेखाओं के अनुसार 33 पीएसयूज की वित्तीय स्थिति एवं कार्य परिणाम ***परिशिष्ट–5.1*** में दिये गये हैं।

सरकार द्वारा उपक्रमों में किये गये निवेश पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से उचित प्रतिफल प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। 31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार एवं अन्य का पीएसयूज में कुल निवेश ₹ 2,21,303.75 करोड़ था जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 1,31,550.49 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 89,753.26 करोड़ थे जिनका वर्णन ***परिशिष्ट–5.3*** में है। इन 33 पीएसयूज में से उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 पीएसयूज में ₹ 1,31,849.34 करोड़ का निवेश किया है, जिसमें ₹ 1,28,647.69 करोड़ की पूँजी एवं ₹ 3,201.65 करोड़ के दीर्घावधि ऋण शामिल हैं। 2017–18 से 2019–20 की अवधि के अंत में पीएसयूज में पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के निवेश की संचयी स्थिति को **चार्ट 5.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 5.2: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उत्तर प्रदेश सरकार का कुल निवेश

(₹ करोड़ में)

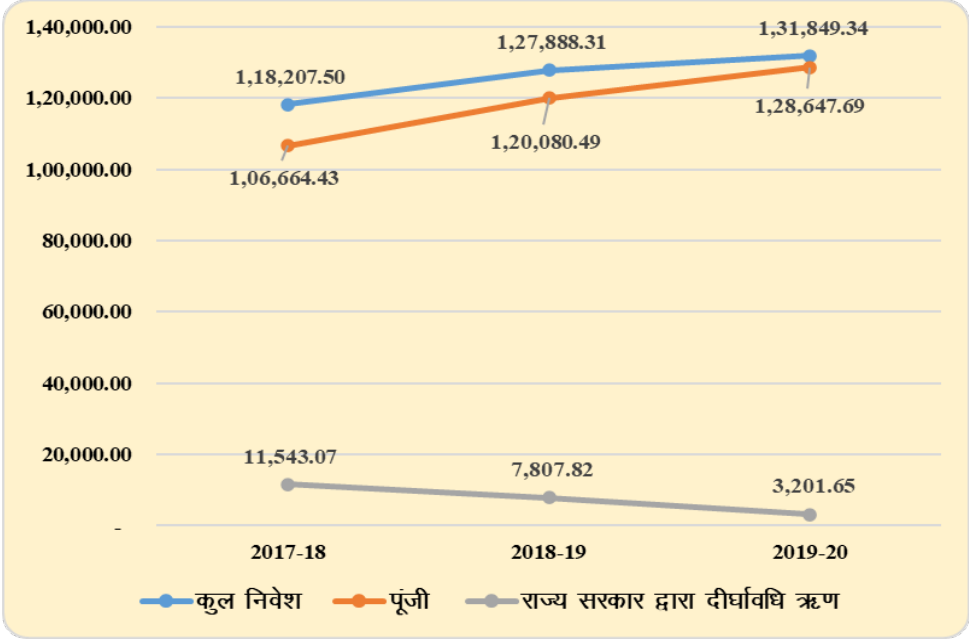

5.6 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का लाभ/हानि

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वर्ष 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान हुई कुल हानि[70] को **चार्ट 5.3** में दर्शाया गया है।

---

[68] उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (परिशिष्ट–5.4 में ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के क्रमांक 02 एवं 03)

[69] द प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य सेतू निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज के परिशिष्ट–5.4 में क्रम संख्या 09, 14, 15 एवं 17)

[70] आंकड़े 31 दिसंबर 2020 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार हैं।

चार्ट 5.3: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वहन की गयी हानि

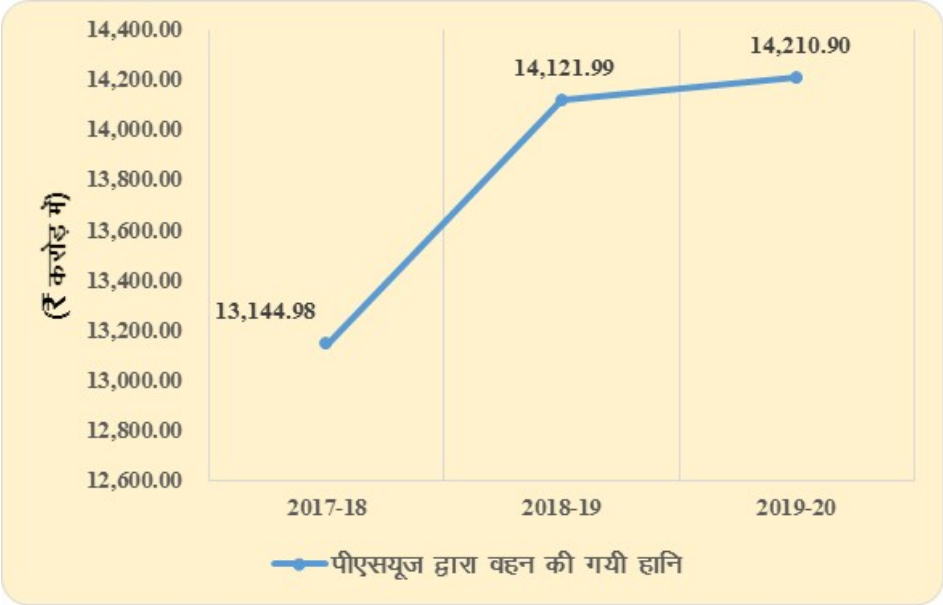

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज को हुई कुल हानि वर्ष 2017–18 के ₹ 13,469.37 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019–20 में ₹ 14,407.44 करोड़ *(परिशिष्ट–5.1)* हुई। पीएसयूज के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, दो पीएसयूज ने ₹ 126.39 करोड़ (₹123.75 करोड़ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा एवं ₹ 2.64 करोड़ जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा) का लाभ अर्जित किया एवं नौ पीएसयूज को ₹ 14,533.83 करोड़ की हानि हुयी। शीर्ष हानि वहन करने वाले पीएसयूज में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 8,118.80 करोड़) एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,567.16 करोड़) थे।

इसके अलावा, नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के अतिरिक्त 22 पीएसयूज में से 13 पीएसयूज ने ₹ 391.22 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं नौ पीएसयूज को ₹ 194.68 करोड़ की हानि हुई, जैसा कि ***परिशिष्ट–5.1*** में वर्णित है। शीर्ष लाभ अर्जित वाले पीएसयूज में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (₹ 167.37 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश वन निगम (₹ 80.38 करोड़) थे। शीर्ष हानि वहन करने वाले पीएसयूज नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 92.47 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 72.11 करोड़) थे ।

वर्ष 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान लाभ अर्जित अथवा हानि वहन करने वाले पीएसयूज की स्थिति **तालिका 5.5** में दर्शायी गयी है।

तालिका 5.5: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिन्होंने लाभ अर्जित किया/हानि वहन की

वर्ष के दौरान	इस अध्याय में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र के कुल पीएसयूज	वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले पीएसयूज की संख्या	वर्ष के दौरान हानि वहन करने वाले पीएसयूज की संख्या	वर्ष के दौरान बिना लाभ/हानि वाले पीएसयूज की संख्या
2017–18	33	17	16	–
2018–19	33	17	16	–
2019–20	33	15	18	–

5.7 निवल मूल्य का क्षरण

प्रदत्त पूँजी तथा मुक्त संचय एवं अधिशेष के योग में से संचित हानि एवं आस्थगित राजस्व व्यय को घटाने पर निवल मूल्य आता है। वास्तव में यह माप है कि एक उपक्रम स्वामियों के लिये कितना मूल्यवान है। ऋणात्मक निवल मूल्य इंगित करता है कि स्वामियों का सम्पूर्ण निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय के कारण लुप्त हो गया है।

31 मार्च 2020[71] को इस अध्याय में शामिल ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयूज की कुल संचित हानि ₹ 1,62,205.75 करोड़ थी। इनमें से नौ पीएसयूज ने नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 14,533.83 करोड़ की हानि उठाई। इसके अलावा, दो पीएसयूज ने अपने नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 126.39 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं उनका संचित लाभ ₹ 1,176.05 करोड़ था।

संचित हानि के कारण ऊर्जा क्षेत्र के छः पीएसयूज के निवल मूल्य का पूरी तरह से क्षरण हो गया था। 31 मार्च 2020 को इन छः पीएसयूज में 72,338.46 करोड़ के पूँजी निवेश के विरुद्ध निवल मूल्य नकारात्मक (–₹ 74,102.48 करोड़) था ***(परिशिष्ट–5.1)***। पांच[72] में से दो[73] पीएसयूज, जिनका निवल मूल्य मार्च 2020 के अंत में सकारात्मक था, उनका निवल मूल्य प्रदत्त पूँजी के आधे से कम था, जो उनकी संभावित वित्तीय रूग्णता को दर्शाता है।

31 मार्च 2020 को ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 22 पीएसयूज में से, 10 पीएसयूज को ₹ 2,015.38 करोड़ की संचित हानि हुई थी। इन 10 पीएसयूज में से, उनके नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, छः पीएसयूज को ₹ 183.05 करोड़ की हानि हुई एवं चार पीएसयूज ने ₹ 55.20 करोड़ का लाभ कमाया, हालांकि उनमे ₹ 1,424.29 करोड़ की संचित हानि थी।

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के अतिरिक्त छः पीएसयूज में संचित हानि के कारण निवल मूल्य का पूरी तरह से क्षरण हो गया था एवं 31 मार्च 2020 को ₹ 1,162.17 करोड़ के पूँजी निवेश के विरुद्ध निवल मूल्य (–) ₹ 551.60 करोड था। तथापि, उन छः पीएसयूज में से जिनके निवल मूल्य का क्षरण हो गया था, तीन पीएसयूज ने उनके नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 54.89 करोड़ का लाभ अर्जित किया था जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा अर्जित ₹ 39.85 करोड़ का लाभ शामिल था। इन छः पीएसयूज में 31 मार्च 2020 को ₹ 1,095.95 करोड का सरकारी ऋण बकाया था।

तालिका 5.6, 31 दिसंबर 2020 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार 33 पीएसयूज (11 ऊर्जा क्षेत्र के एवं 22 ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज) के 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान प्रदत्त पूँजी, संचित लाभ/हानि एवं निवल मूल्य को दर्शाती है।

तालिका 5.6: 2017–18 से 2019–20 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष के दौरान	वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अन्त में संचित लाभ (+)/हानि (–)	आस्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)-(4)
I. ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज				
2017-18	1,04,324.11	(-) 1,56,262.10	3.95	(-) 51,941.94
2018-19	1,16,579.79	(-) 1,62,205.75	0.18	(-) 45,626.14

[71] 31 दिसंबर 2020 तक नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार।

[72] मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

[73] मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड।

वर्ष के दौरान	वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अन्त में संचित लाभ (+)/हानि (–)	आस्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
2019-20	1,16,579.79	(-) 1,62,205.75	0.18	(-) 45,626.14
II. ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज				
2017-18	4,100.91	(+) 5,074.08	0.06	9,174.93
2018-19	4,896.79	(+) 5,234.70	0.47	10,131.02
2019-20	4,922.06	(+) 5,142.80	0.21	10,064.65

5.8 लाभांश का भुगतान

राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति (अक्टूबर 2002) तैयार की थी जिसके तहत लाभ में चल रहे पीएसयूज को राज्य सरकार द्वारा योगदान की गई अंश पूँजी पर न्यूनतम पाँच प्रतिशत के प्रतिफल का भुगतान करना होता है।

पीएसयूज द्वारा लाभांश भुगतान जिनमें जीओयूपी द्वारा 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान पूँजी का निवेश किया गया था उसे **तालिका 5.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.7: वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लाभांश का भुगतान

वर्ष के दौरान	कुल पीएसयूज जिनमें जीओयूपी द्वारा पूँजी का निवेश किया गया है		वर्ष के दौरान लाभ में चल रहे पीएसयूज		पीएसयूज जिनके द्वारा वर्ष के दौरान लाभांश घोषित/प्रदत्त किया गया		लाभांश भुगतान अनुपात (प्रतिशत में)
	पीएसयूज की संख्या	जीओयूपी द्वारा निवेशित पूँजी[74] (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या	जीओयूपी द्वारा निवेशित पूँजी (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या	पीएसयूज द्वारा लाभांश की घोषणा/प्रदत्त (₹ करोड़ में)	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/5*100)
I. ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज							
2017-18	4	1,04,504.71	1	10,796.79	-	-	-
2018-19	4	1,17,911.72	1	12,305.55	-	-	-
2019-20	4	1,26,160.55	-	-	-	-	-
II. ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज							
2017-18	13	2,159.72	6	98.57	3[75]	0.71	0.72
2018-19	13	2,168.77	3	1.48	2[76]	0.07	4.73
2019-20	13	2,487.14	-	-	-	-	-

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के संबंध में, 2017–18 एवं 2018–19 की अवधि के दौरान, एक पीएसयू यथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड लाभ में चल रहा था। तथापि, कम्पनी ने उत्तर प्रदेश सरकार को कोई लाभांश घोषित/प्रदत्त नहीं किया था। ऊर्जा क्षेत्र के किसी भी पीएसयूज ने वर्ष 2019–20 के अपने लेखाओं को 31 दिसंबर 2020 तक अन्तिमीकृत नहीं किया था।

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज के संबंध में 2017–18 से 2019–20 की अवधि में लाभ में चल रहे पीएसयूज की संख्या तीन से लेकर छः के मध्य थी। वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को लाभांश घोषित/प्रदत्त करने वाले पीएसयूज की संख्या दो से तीन थी। ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त कोई भी

[74] उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को उनकी सहायक कंपनियों हेतु पूँजी जारी की। अतः शासकीय धन के निवेश हेतु केवल स्वामित्व कंपनियों पर उनकी सहायक कंपनियों की ओर से विचार किया गया है।

[75] उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड।

[76] उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड।

पीएसयूज जिसने वर्ष 2019–20 के लिए लेखाओं को अन्तिमीकृत किया, वर्ष के दौरान लाभ अर्जित नही किया। लाभांश भुगतान अनुपात 2017–18 में 0.72 प्रतिशत एवं 2018–19 में 4.73 था।

5.9 पूँजी पर प्रतिफल

पूँजी पर प्रतिफल (आरओई)[77] एक कम्पनी के वित्तीय निष्पादन की माप है इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात करों के बाद शुद्ध लाभ) को शेयरधारकों के कोष से विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है एवं किसी भी कम्पनी के लिये जिसके शेयरधारकों का कोष सकारात्मक है, इसकी गणना की जा सकती है।

वर्ष 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान अध्याय में शामिल पीएसयूज का आरओई **तालिका 5.8** में दिया गया है:

तालिका 5.8: सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसयूज में पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	वर्ष की शुद्ध आय/कुल उपार्जन (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों का कोष (₹ करोड़ में)	आरओई (प्रतिशत में)
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज			
2017-18	-13,469.37	-51,941.94	-
2018-19	-14,407.44	-45,626.14	-
2019-20	-14,407.44	-45,626.14	-
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज			
2017-18	324.39	9,174.93	3.54
2018-19	285.45	10,131.02	2.82
2019-20	196.54	10,064.65	1.95

स्रोत: 31 दिसंबर 2020 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित आंकड़े

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के संबंध में, मार्च 2020 को समाप्त विगत तीन वर्षों की अवधि के दौरान, शुद्ध आय एवं शेयरधारक कोष दोनो नकारात्मक रहे। 2017–18 से 2019–20 के संबंध में आरओई की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि शेयरधारक कोष नकारात्मक था जो इंगित करता है कि इन पीएसयूज की देयताएं संपत्ति से अधिक हो गयी एवं अंश पूँजी पर प्रतिफल का भुगतान करने के बजाय, संचित घाटे ने सम्पूर्ण अंश पूँजी को समाप्त कर दिया है।

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज के संबंध में, वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान आरओई 1.95 प्रतिशत से लेकर 3.54 प्रतिशत तक रहा। सकारात्मक आरओआई मुख्यता इन तीन वर्षों में सरकारी कम्पनियों की (-) 2.86 प्रतिशत से लेकर (-) 0.08 प्रतिशत नकारात्मक आरओआई के सापेक्ष सांविधिक निगमों के 4.46 प्रतिशत से लेकर 5.19 प्रतिशत सकारात्मक आरओई के कारण था।

5.10 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी पूँजी के नियोजन की दक्षता को मापता है।

आरओसीई की गणना कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व लाभ (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी[78] द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान 33 पीएसयूज के आरओसीई का विवरण **तालिका 5.9** में दिया गया है:

---

[77] पूँजी पर प्रतिफल = (कर एवं अधिमान लाभांश के बाद शुद्ध लाभ/पूँजी)*100 जबकि पूँजी = प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय – संचित हानि – आस्थगित आयगत व्यय।

[78] नियोजित पूँजी = प्रदत्त अंश पूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घवधि ऋण – संचित हानियाँ – आस्थगित आयगत व्यय।

तालिका 5.9 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष के दौरान	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत में)
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज			
2017-18	-8,369.45	24,544.71	-34.10
2018-19	-7,963.65	33,816.74	-23.55
2019-20[79]	-7,963.65	33,816.74	-23.55
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज			
2017-18	369.36	14,053.57	2.63
2018-19	327.54	17,212.48	1.90
2019-20	301.12	17,854.89	1.69

स्रोतः 31 दिसंबर 2020 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित आंकड़े

2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज का कुल आरओसीई (–) 23.55 प्रतिशत से लेकर (–) 34.10 प्रतिशत के मध्य था।

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 1,928.93 करोड़) एवं नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 1,094.81 करोड़) की नियोजित पूँजी में 2017–18 एवं 2019–20 के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि होने के कारण ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज में 2017–18 के दौरान की 2.63 प्रतिशत की कुल आरओसीई कम होकर 2019–20 के दौरान 1.69 प्रतिशत हो गयी। तीन पीएसयूज की नियोजित पूँजी (उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड, इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम) सभी तीन वर्षों (2017–18 से 2019–20) में नकारात्मक रही।

5.11 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के दीर्घकालिक ऋणों का विश्लेषण

2017–18 से 2019–20 के दौरान पीएसयूज के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण किया गया, जिससे पीएसयूज की क्षमता का आंकलन किया जा सके कि इन पीएसयूज ने सरकार, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से जो ऋण लिए हैं उससे सम्बंधित भुगतान में सक्षम हैं। इसे ब्याज व्याप्ति अनुपात के माध्यम से आंकलित किया जाता है।

5.12 ब्याज व्याप्ति अनुपात

ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज खर्चो से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कम्पनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी कम होगी। एक से कम ब्याज व्याप्ति अनुपात इंगित करता है कि कम्पनी अपने ब्याज के व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। पीएसयूज जिनमें 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान बकाया ऋण थे, से सम्बंधित ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण **तालिका 5.10** में दिया गया है।

तालिका 5.10: दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज के दायित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसयूज का ब्याज व्याप्ति अनुपात

वर्ष के दौरान	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या जिनमें सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋणों पर ब्याज की देयता है	पीएसयूज की संख्या जिनमें ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक है	पीएसयूज की संख्या जिनमें ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम है
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज					
2017-18	5,064.12	-250.35	8	2	6
2018-19	6,405.53	152.60	8	1	7

[79] चूंकि ऊर्जा क्षेत्र के किसी भी पीएसयूज ने वर्ष 2019–20 के लिए अपने लेखाओं को 31 दिसंबर 2020 तक अन्तिमीकृत नहीं किया था, 2018–19 एवं 2019–20 के लिए आरओसीई नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर समान है।

वर्ष के दौरान	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या जिनमे सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋणों पर ब्याज की देयता है	पीएसयूज की संख्या जिनमें ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक है	पीएसयूज की संख्या जिनमें ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम है
2019-20	6,405.53	152.60	8	1	7
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज					
2017-18	30.99	175.89	6	3	3
2018-19	24.37	36.03	7	4	3
2019-20	86.93	10.27	7	3	4

वर्ष 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में, ब्याज सहित ऋण की देयता वाले आठ पीएसयूज में से दो पीएसयूज[80] का 2017–18 के दौरान एवं एक पीएसयू[81] का 2018–19 एवं 2019–20 के दौरान ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था जबकि शेष छः/सात पीएसयूज में ऋणात्मक/ एक से कम ब्याज व्याप्ति अनुपात था। यह इंगित करता है कि ये पीएसयूज इस अवधि के दौरान ब्याज पर खर्चों की पूर्ति हेतु पर्याप्त मात्रा में राजस्व उत्पन्न नहीं कर सके।

वर्ष 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान, ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज में ऋण की देयता वाले छः/सात पीएसयूज में से तीन पीएसयूज का 2017–18 एवं 2019–20 में एवं चार पीएसयूज का 2018–19 में ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था। तीन/चार पीएसयूज का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था जो दर्शाता है कि इस अवधि मे ये पीएसयूज ब्याज पर अपने खर्चों की पूर्ति हेतु पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर सके।

5.13 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण

31 मार्च 2020 को जीओयूपी द्वारा छः पीएसयूज को प्रदान किए गए दीर्घावधि ऋणों पर ₹ 2317.81 करोड़ का ब्याज बकाया था। पीएसयूज में जीओयूपी के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण **तालिका 5.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.11: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

पीएसयू का नाम	31 मार्च 2020 को ऋण पर बकाया ब्याज	एक वर्ष से कम बकाया	एक से तीन वर्षों का बकाया	तीन वर्षों से अधिक का बकाया
I. ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज				
उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	225.37	10.60	21.19	193.58
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	29.90	29.90	0.00	0.00
उप योग (I)	**255.27**	**40.50**	**21.19**	**193.58**
II. ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज				
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	49.35	2.20	6.62	40.53
नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,953.55	0.00	268.14	1,685.41
उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	28.51	4.46	10.79	13.26
द प्रदेशिया इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	31.13	0.00	0.00	31.13
उप योग (II)	**2,062.54**	**6.66**	**285.55**	**1,770.33**
कुल योग	**2,317.81**	**47.16**	**306.74**	**1,963.91**

[80] कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

[81] उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि ₹ 2,317.81 करोड़ की कुल ब्याज राशि में से, ₹ 1,963.91 करोड़ तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं जो यह दर्शाता है कि ये पीएसयूज नियमित रूप से ब्याज का भुगतान नहीं कर रहे हैं।

5.14 सरकारी कम्पनियों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान 26 कम्पनियों ने 32 लेखापरीक्षित लेखे प्रधान महालेखाकार को अग्रेषित किये। इनमें से 25 लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि लेखाओं की गुणवत्ता में सारभूत सुधार की आवश्यकता है। 2017–20 के लेखाओ पर सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के सकल मौद्रिक मूल्य का विवरण **तालिका 5.12** में दिया गया है।

तालिका 5.12: सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसयूज पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

क्र. सं.	विवरण	2017-18		2018-19		2019-20	
		लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	लाभ में कमी	13	136.70	12	162.85	5	89.31
2.	लाभ में वृद्धि	2	0.71	5	33.81	2	0.25
3.	हानि में वृद्धि	8	1,308.64	12	481.67	7	37.73
4.	हानि में कमी	4	8.02	6	49.03	-	-
5.	सारवान तथ्यों को प्रकट नहीं किया गया	15	728.33	13	385.32	1	0.11
6.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	10	196.70	20	1,762.50	6	137.45

स्रोतः राजकीय उपक्रमों के सम्बंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/सीएजी की टिप्पणियों के आधार पर संकलित

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के संबंध में, वर्ष 2019–20 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षक ने क्वालीफाईड प्रमाण पत्र जारी किये एवं उ0प्र0 जल विद्युत निगम लिमिटेड के वर्ष 2017–18 के लेखाओं पर लेखांकन मानकों का अनुपालन न करने के एक उदाहरण को इंगित किया।

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि में, 14 लेखाओं पर क्वालीफाईड प्रमाण पत्र जारी किए थे। उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के लेखाओं के संबंध में एवं उत्तर प्रदेश स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2017–18 के लिए, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने एक प्रतिकूल राय दी थी। पीएसयूज द्वारा लेखा मानकों का अनुपालन कमजोर रहा क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 18 लेखाओं में लेखांकन मानकों के अनुपालन न करने के 76 उदाहरण इंगित किये। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2009–10 के लेखाओं पर सीएजी ने भी प्रतिकूल प्रमाण पत्र (वित्तीय विवरणों द्वारा सत्य और निष्पक्ष राय प्रस्तुत न करनां) निर्गत किया।

5.15 सांविधिक निगमों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ

राज्य में छः सांविधिक निगम अर्थात (i) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (यूपीएईवीपी), (ii) उत्तर प्रदेश जल निगम (यूपीजेएन), (iii) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (यूपीएफसी), (iv) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी), (v) उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम (यूपीएसडब्ल्यूसी) एवं (vi) उत्तर प्रदेश वन निगम हैं। यूपीएसडब्लूसी एवं यूपीएफसी को छोड़कर जिनमे सीएजी शासित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुपूरक लेखापरीक्षा करते हैं इन सांविधिक निगमों के एकमात्र लेखापरीक्षक सीएजी हैं।

छः कार्यरत सांविधिक निगमों में से, एक निगम (यूपीएईवीपी) ने 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान वर्ष 2018–19 के अपने वार्षिक लेखे को अग्रेषित किया जिसे लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था।

सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की एकल/अनुपूरक लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के सकल मौद्रिक मूल्य का विवरण **तालिका 5.13** में दिया गया है।

तालिका 5.13: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

क्र. सं.	विवरण	2017-18		2018-19	
		लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	लाभ में कमी	3	26.33	3	65.90
2.	लाभ में वृद्धि	2	2.09	3	5.61
3.	हानि में वृद्धि	-	-	-	-
4.	हानि में कमी	-	-	-	-
5.	सारवान तथ्यों को प्रकट नहीं किया गया	-	-	1	236.36
6.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	1	0.71	2	5.86

स्रोतः सांविधिक निगमों के सम्बंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/सीएजी की टिप्पणियों के आधार पर संकलित

5.16 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

कुल 113 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसयूज में से 69 कार्यरत पीएसयूज (63 सरकारी कम्पनियाँ एवं छः सांविधिक निगम) एवं 44 अकार्यरत पीएसयूज 31 मार्च 2020 को सीएजी के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत थे। लेखाओं की तैयारी के लिये राज्य पीएसयूज द्वारा समय सीमा के अनुपालन की स्थिति निम्नवत दर्शायी गयी है।

5.16.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखे तैयार करने में समयबद्धता

वर्ष 2019–20 के लिए सभी पीएसयूज द्वारा 30 सितंबर 2020 तक लेखे प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। तथापि, भारत सरकार ने अपने परिपत्र[82] दिनांक 17 अगस्त 2020 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कम्पनियों की एजीएम आयोजित करने की तिथि को बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2020 तक कर दिया था।

- 63 कार्यरत सरकारी कम्पनियों में से, केवल तीन सरकारी कम्पनियों[83] ने वर्ष 2019–20 के लिए अपने लेखे 31 दिसंबर 2020 को अथवा उससे पूर्व सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किए। परिणामस्वरूप, 60 कार्यरत सरकारी कम्पनियों के लेखे बकाये थे।

- छः सांविधिक निगमों में से, चार सांविधिक निगमों (उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश जल निगम एवं उत्तर प्रदेश वन निगम) में सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक हैं। 31 मार्च 2020 को इन चार सांविधिक निगमों के सात[84] लेखे बकाया थे। किसी सांविधिक निगम ने वर्ष 2019–20 के लेखे 31 दिसंबर 2020 तक सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये।

---

82 एफ. सं. 2/4/2020–सीएल–V दिनांक 17 अगस्त, 2020।

83 परिशिष्ट–5.1 का क्रमांक 2, 12 एवं 16 अर्थात (i) नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (ii) उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद एवं (iii) अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड (सरकारी नियंत्रण वाली कम्पनी)।

84 (i) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम वर्ष 2019–20; (ii) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद वर्ष 2019–20; (iii) उत्तर प्रदेश जल निगम वर्ष 2017–18 से 2019–20 तथा (iv) उत्तर प्रदेश वन निगम वर्ष 2018–19 व 2019–20 के लेखे।

31 दिसंबर 2020 को राज्य पीएसयूज द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण नीचे तालिका 5.14 में दिया गया है।

तालिका 5.14: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने की स्थिति

विवरण		लेखाओं प्रस्तुत करने से संबंधित स्थिति			
		सरकारी कम्पनियाँ	सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	योग
31 मार्च 2020 को सीएजी की लेखापरीक्षा के दायरे में आने वाले पीएसयूज की कुल संख्या		94	13	6	113
घटाया: नए पीएसयूज जिनके 2019–20 के लेखे देय नहीं थे		-	-	-	-
घटाया: पीएसयूज जो परिसमापन के अन्तर्गत है जिनके लेखे 2019–20 के लिए देय नहीं थे		12	1	-	13
2019–20 के देय लेखाओं के लिए पीएसयूज की संख्या		82	12	6	100
31 दिसंबर 2020 तक सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए 2019–20 के अपने लेखे प्रस्तुत करने वाले पीएसयूज की संख्या		3[85]	1	-	4
पीएसयूज की संख्या जिनके लेखे बकाया थे		89[86]	12	6	107[87]
बकाया लेखाओं की संख्या		856	56	17	929
बकाया का ब्योरा	परिसमापन के अधीन	112	8	-	120
	अकार्यरत	529	25	-	554
	प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए	45	17	-	62
	अन्य	170	6	17	193
अन्य श्रेणी के विरूद्ध बकाया का आयुवार विश्लेषण	एक वर्ष (2019–20)	15	3	2	20
	दो वर्ष (2018–19 एवं 2019–20)	18	-	2	20
	तीन वर्ष एवं अधिक	137	3	13	153

ऊर्जा क्षेत्र के 13 में से नौ पीएसयूज जिनके लेखाओं को 31 दिसंबर 2020 तक अन्तिमीकृत नहीं किया गया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने ₹ 55,325.92 करोड़ (पूँजी: ₹ 18,583.61 करोड़, ऋण: ₹ 615.45 करोड़, अनुदान: ₹ 12,403.61 करोड़ एवं सब्सिडी: ₹ 23,723.25 करोड़) प्रदान किये थे, जबकि शेष चार ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में लेखाओं के बकाया होने की अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था।

इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त के 94 पीएसयूज में से 32 पीएसयूज को जिनके लेखाओं को 31 दिसंबर 2020 तक अन्तिमीकृत नहीं किया गया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने ₹ 4,506.32 करोड़ (पूँजी: ₹ 97.47 करोड़, ऋण: ₹ 1,221.82 करोड़, अनुदान: ₹ 3,121.46 करोड़ एवं सब्सिडी: ₹ 65.57 करोड़) प्रदान किये थे जबकि शेष 62 ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज के लेखाओं के बकाया होने की अवधि के दौरान

[85] इसमें एक अकार्यरत कम्पनी (यूपी स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड) शामिल है।

[86] 94 (कुल पीएसयूज) - 5 (3 पीएसयूज ने 2019–20 के लिए लेखे प्रस्तुत किए एवं परिसमापन के अधीन 2 पीएसयूज जिनके लेखे बकाया नहीं थे)

[87] इसमें दो ऐसे पीएसयूज शामिल नहीं है जो परिसमापन के अधीन हैं जिनका परिसमापन में जाने की तिथि तक कोई लेखा बकाया नहीं है।

कोई निवेश नहीं किया गया था। राज्य सरकार द्वारा लेखाओं के बकाया होने की अवधि के दौरान किए गए निवेश का पीएसयूजवार विवरण ***परिशिष्ट–5.5*** में दर्शाया गया है।

इन पीएसयूज की गतिविधियों की निगरानी करने एवं इन पीएसयूज द्वारा लेखाओं को निर्धारित समय में अंतिम रूप दिये जाने एवं अंगीकृत किये जाने को सुनिश्चित करने का दायित्व उनके प्रशासनिक विभागों पर है। संबंधित विभागों को बकाया लेखाओं के संबंध में नियमित रूप से सूचित किया गया था।

5.16.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं के अन्तिमीकरण नहीं किये जाने का प्रभाव

लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के उल्लंघन के अलावा कपट एवं सार्वजनिक धन के रिसाव के जोखिम के रूप में भी परिणित हो सकता है। उपरोक्त लेखाओं के बकाया की स्थिति को देखते हुए, बकाया लेखाओं की अवधि के दौरान अर्जित लाभ/वहन हानि को शामिल करते हुए इन 107 पीएसयूज[88] के वास्तविक निष्पादन एवं राज्य के जीडीपी में योगदान का आकलन नहीं किया जा सका तथा राज्य विधानमंडल को प्रतिवेदित नहीं किया जा सका। इन पीएसयूज द्वारा लेखाओं को अन्तिमीकृत किये जाने एवं उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किये गये निवेश एवं व्यय सही रूप से लेखांकित किये गये है तथा निधियों का उपयोग उस प्रयोजन के लिए किया गया था जिसके लिए राज्य सरकार ने उपलब्ध कराया गया था। ऐसे सांविधिक निगमों के संबंध में जहाँ प्रमाणन का सम्पूर्ण दायित्व एकल अंकेक्षक के रूप में सीएजी पर है, यह मुद्दा बड़ी चिन्ता का विषय है।

5.17 अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

31 मार्च 2020 को, 44 राज्य पीएसयूज अकार्यरत थे जिनमें पूँजी (₹ 1,015.21 करोड़) एवं दीर्घावधि ऋण (₹ 697.86 करोड़) के रूप में ₹ 1,713.07 करोड़ का निवेश था। इनमें मुख्य निवेश नन्दगंज–सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (₹ 256.80 करोड़), उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 232.18 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल्स कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 224.67 करोड़) में था। अग्रेतर, 27 पीएसयूज वर्ष 2000–01 से अकार्यरत थे। अकार्यरत पीएसयूज में 13 पीएसयूज परिसमापन के अधीन है। राज्य सरकार इन अकार्यरत पीएसयूज की स्थिति की समीक्षा कर सकती है।

5.17.1 अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बकाया लेखे

31 दिसम्बर 2020 को 44 अकार्यरत पीएसयूज (परिसमापन के अधीन 13 पीएसयूज को शामिल करके) में से 41 अकार्यरत पीएसयूज के 674 लेखे बकाया थे। इन पीएसयूज के बकाया लेखाओं का आयुवार विश्लेषण **तालिका 5.15** में दिया गया है।

तालिका 5.15: अकार्यरत पीएसयूज के बकाया लेखाओं का आयुवार विश्लेषण

		बकाया का आयुवार विश्लेषण				कुल
		1 से 5 वर्ष	6 से 10 वर्ष	11 से 20 वर्ष	21 वर्ष एवं अधिक	
बकाया लेखाओं वाले अकार्यरत पीएसयूज	परिसमापन के अधीन	4	1	5	1	11
	अन्य	6	6	4	14	30
बकाया लेखाओं की संख्या	परिसमापन के अधीन पीएसयूज	9	8	74	29	120
	अन्य अकार्यरत पीएसयूज	15	47	68	424	554

[88] ऊर्जा क्षेत्र के 13 पीएसयूज एवं ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 94 पीएसयूज।

5.18 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2008–09 से तैयार किया जा रहा है एवं राज्य विधायिका को प्रस्तुत किया जा रहा है। लोक लेखा समिति द्वारा इन प्रतिवेदनों पर अभी चर्चा की जानी है।

5.19 संस्तुतियाँ

- *राज्य सरकार एवं संबंधित पीएसयूज को पूँजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूति के आंकड़ों के अन्तर को जीओयूपी के वित्त लेखाओं और पीएसयूज के अभिलेखों के आधार पर समयबद्ध तरीके से मिलान करना चाहिये।*

- *प्रशासनिक विभाग को पीएसयूज के लेखाओं के बकाया को समाप्त करने के लिये सख्ती से अनुश्रवण करना चाहिये एवं आवश्यक निर्देश निर्गत करने चाहिये। सरकार पीएसयूज के लेखाओं को तैयार करने में आने वाली बाधाओं को भी देख सकती है एवं लेखाओं के बकाया को समाप्त करने के लिये आवश्यक कदम उठा सकती है।*

(राज कुमार)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–II),
उत्तर प्रदेश

लखनऊ,
दिनांक 29 सितंबर 2021

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली,
दिनांक 5 अक्टूबर 2021